"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 जनवरी 2018 — पौष 25, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2018

क्रमांक 539/डी. 07/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 10-01-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 2 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2017

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम , 2017 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 में, उप-धारा (1) में, -

(एक) खण्ड (ख) में, शब्द "प्रसंस्करणकर्ता", जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) खण्ड (ञ) में, शब्द "प्रसंस्करणकर्ता" के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(तीन) खण्ड (त) में, शब्द "प्रसंस्करण" के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करण या विनिर्माण" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 6 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 6 में,-

(एक) खण्ड (ख) में, प्रथम परन्तुक में, पैरा (ख) में, विराम चिन्ह ":", के स्थान पर, विराम चिन्ह ";" प्रतिस्थापित किया जाये और उसके पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ग) अनुसूची के भाग सात तथा आठ में अधिसूचित कृषि उपज, जो अधिसूचित मंडी प्रांगण/विशेष वस्तु मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण/किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण/टर्मिनल मार्केट यार्ड के बाहर क्रय की गई हो अथवा बेची गई हो :"

(दो) द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारणों से, ऐसे मंडी-क्षेत्र के संबंध में, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, उस छूट को प्रत्याहृत कर सकेगी, जो कि पूर्ववर्ती परन्तुक के खण्ड (क) के उप-खण्ड (दो) के अधीन दी गई हो. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, पूर्ववर्ती परन्तुक के खण्ड (ग) के संबंध में क्रय की गई अथवा बेची गई कृषि उपज के लिए भी छूट प्रत्याहृत कर सकेगी और निर्देश जारी कर सकेगी तथा इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना बंधनकारी होगा."

धारा 11 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 11 में, उप-धारा (1) में, खण्ड (ग) में, शब्द "प्रसंस्करण" के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करण या विनिर्माण" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 12 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 12 में, उप-धारा (8) में, प्रथम परन्तुक के पश्चात् तथा द्वितीय परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि यदि संविधान की पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों की मंडी समितियों का अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति का नहीं है, तो उपाध्यक्ष, अनुसूचित जनजातियों के निर्वाचित सदस्यों के बीच से निर्वाचित किया जायेगा :"

6. मूल अधिनियम की धारा 19 में,- धारा 19 का संशोधन.

(एक) उप-धारा (1) में, परन्तुक में, शब्द "प्रसंस्करण" के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करण या विनिर्माण" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) उप-धारा (2) में, चतुर्थ परन्तुक में,-

(क) शब्द "प्रसंस्करण के लिए " के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करण के लिए या विनिर्माण के लिए" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) शब्द "प्रसंस्करणकर्ता" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता" प्रतिस्थापित किया जाये;

(तीन) उप-धारा (4) में,-

(क) शब्द "प्रसंस्कृत की गई है " के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्कृत, विनिर्मित की गई है" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) शब्द "प्रसंस्कृत उपज" के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्कृत या विनिर्मित उपज" प्रतिस्थापित किया जाये;

(चार) उप-धारा (5) में, शब्द "प्रसंस्करण" के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करण या विनिर्माण" प्रतिस्थापित किया जाये;और

(पांच) उप-धारा (6) में, परन्तुक में,-

(क) शब्द "प्रसंस्कृत" के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्कृत या विनिर्मित" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) शब्द "प्रसंस्करणकर्ता" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता" प्रतिस्थापित किया जाये.

7. मूल अधिनियम की धारा 19-ख में, उप-धारा (1) में, शब्द "प्रसंस्करण" के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करण या विनिर्माण" प्रतिस्थापित किया जाये. धारा 19-ख का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 21 में, उप-धारा (1) में, शब्द "प्रसंस्करणकर्ता" के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता" प्रतिस्थापित किया जाये. धारा 21 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 31 में, शब्द "प्रसंस्करण के या दबाने (प्रेसिंग)" के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करण या विनिर्माण या दबाने (प्रेसिंग)" प्रतिस्थापित किया जाये. धारा 31 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 37-क में, उप-धारा (2), (3), (4) एवं (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- धारा 37-क का संशोधन.

"(2) क्रेता, संविदा खेती के लिखित करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा. प्राधिकृत अधिकारी, उसे ऐसी रीति में तथा ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जैसा कि उप-विधियों में विहित की जाये, पंजी करेगा.

(3) यदि करार के उपबंध के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद उद्भूत होता है, तो कोई भी पक्षकार, विवादों पर मध्यस्थता करने के लिए कलेक्टर/अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा.

कलेक्टर/अपर कलेक्टर, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विवाद का समाधान करेगा.

(4) उप-धारा (3) के अधीन कलेक्टर/अपर कलेक्टर के विनिश्चय से व्यथित पक्षकार, विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर प्रबंध संचालक या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी को अपील कर सकेगा. प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अपील का निराकरण करेगा तथा प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.

(5) संविदा खेती के अधीन उत्पादित कृषि उपज, मंडी प्रांगण के बाहर क्रेता को बेची जायेगी तथा ऐसी कृषि उपज पर मंडी शुल्क देय नहीं होगा."

धारा 39 का संशोधन. 11. मूल अधिनियम की धारा 39 में, खण्ड (आठ) में, उप-खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(झ) मंडी समिति निधि में मंडी शुल्क के रूप में प्राप्त आय का दो प्रतिशत, मंडी क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के विकास या निर्माण कार्य हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अंतरित किया जायेगा."

धारा 44 का संशोधन. 12. मूल अधिनियम की धारा 44 में,-

(एक) खण्ड (दस-डड) में, अंक एवं चिन्ह "10%" के स्थान पर, अंक एवं चिन्ह "20%" प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) खण्ड (बारह) में, शब्द "पन्द्रह प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "बीस प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाये.

नया रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2018

क्रमांक 539/डी. 07/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15-1-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 2 of 2018)

THE CHHATTISGARH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017

An Act further to amend the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Adhiniyam may be called the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 2, in sub-section (1),-

(i) in clause (b), for the word "Processer", wherever it occurs, the words "processor, manufacturer" shall be substituted;

(ii) in clause (j), for the words " a processor", the words " a processor, a manufacturer" shall be substituted; and

(iii) in clause (p), for the word "processing", the words " processing or manufacturing" shall be substituted.

Amendment of Section 6.

3. In Section 6 of the Principal Act,-

(i) in clause (b), in the first proviso, in para (b), for the punctuation ":", the punctuation ";" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely :-

"(c) agricultural produce notified in Part VII and VIII of the Schedule, which is purchased or sold outside the notified market yard/special produce market yard/sub-market yard/farmer consumer sub-market yard/ terminal market yard:"

(ii) for the second proviso, the following shall be substituted, namely :-

"Provided further that the State Government may, by notification, for reasons to be specified therein, withdraw the exemption in respect of such market area as may be specified in the notification under sub-clause (ii) of clause (a) of the preceding proviso. The State Government by notification may also withdraw the exemption and issue directions for the agricultural produce purchased or sold with respect to clause (c) of the preceding proviso, and the compliance of the directions so issued will be binding."

Amendment of Section 11.

4. In Section 11 of the Principal Act, in sub-section (1), in clause (c), for the word "processing", the words "processing or manufacturing" shall be substituted.

Amendment of Section 12.

5. In Section 12 of the Principal Act, in sub-section (8), after the first proviso and before the second proviso, the following shall be inserted, namely :-

"Provided further that if the Chairman of the market committee of the area of fifth Schedule to the Constitution, doesn't belong to Scheduled Tribes, the Vice-chairman shall be elected from amongst the elected members belonging to Scheduled Tribes:"

Amendment of Section 19.

6. In Section 19 of the Principal Act,-

(i) in sub-section (1), in the proviso, for the word "processing", the words "processing or manufacturing" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), in the fourth proviso,-

(a) for the words " for processing", the words " for processing or manufacturing" shall be substituted; and

(b) for the word " processor", wherever it occurs, the words " processor or manufacturer" shall be substituted;

(iii) in sub-section (4), -

(a) for the words "processed re-sold", the words " processed, manufactured resold" shall be substituted; and

(b) for the word "processed produce", the words " processed or manufactured produce" shall be substituted;

(iv) in sub-section (5), for the word "processing", the words "processing or manufacturing" shall be substituted; and

(v) in sub-section (6), in the proviso,-

(a) for the word "processed", the words " processed or manufactured" shall be substituted; and

(b) for the word "processor", wherever it occurs, the words " processor or manufacturer" shall be substituted.

Amendment of Section 19-B.

7. In Section19-B of the Principal Act, in sub-section (1), for the word " processing", the words "processing or manufacturing" shall be substituted.

Amendment of Section 21.

8. In Section 21 of the Principal Act, in sub-section (1),for the word "processor", the words " processor, manufacturer" shall be substituted.

Amendment of Section 31.

9. In Section 31of the Principal Act, for the words " processing or pressing", the words "processing or manufacturing or pressing" shall be substituted.

Amendment of Section 37-A.

10. In Section 37-A of the Principal Act, for sub-section (2), (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

"(2) The buyer shall submit an application for registration of the written agreement of contract farming to the officer authorized by the Collector. The Authorised Officer shall register in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed in the bye-laws.

(3) If any dispute arise between the parties in respect of provisions of the agreement, either party may submit an application to the Collector/Additional Collector to arbitrate upon the dispute. The Collector/Additional Collector shall resolve the dispute after giving the parties a reasonable opportunity of being heard.

(4) The party aggrieved by the decision of the Collector/Additional Collector under sub-section (3), may prefer an appeal to the Managing Director or the officer authorized by him in this behalf within thirty days from the date of decision. The Managing Director or the officer authorized by him shall dispose off the appeal after giving the parties a reasonable opportunity of being heard and the decision of the Managing Director or the officer authorized by him shall be final.

(5) The agricultural product produced under contract farming shall be sold to the buyer outside the market yard and no market fees shall be payable on such agricultural produce."

Amendment of Section 39.

11. In Section 39 of the Principal Act, in clause (viii), after sub-clause (h), the following shall be inserted, namely:-

"(i) Two percent of the income received as Mandi fees in Market Committee Fund shall be transferred to the Department of Panchayat and Rural Development for the development or construction works of the Gram Panchayats of market area."

Amendment of Section 44.

12. In Section 44 of the Principal Act,-

(i) in clause (x-ee), for the figure and symbol "10%", the figure and symbol "20%" shall be substituted.

(ii) in clause (xii), for the words " fifteen percent", the words " twenty percent" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.